


बिहार सरकार  
कृषि विभाग

ज्ञापाक-3/कृ०-बजट-विविध- 85/2015 2694 /कृ०, पटना, दिनांक: - 6/7/2017 2017

Fax/Mail

प्रतिलिपि :-कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान/निदेशक भूमि संरक्षण/निदेशक बामेति/निदेशक पी०पी०एम०/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/नियंत्रक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर/नियंत्रक राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर/सभी जिला कृषि पदाधिकारी।/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी /सभी सहायक निदेशक (शष्य) बीज बीश्लेषण प्रयोगशाला/सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक (शष्य) शिक्षा, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज निरिक्षण बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) तेलहन बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) सूचना बिहार, पटना/ उप निदेशक (शष्य) पाट कृषि निदेशालय बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट बिहार, पूर्णियाँ/ अपर निदेशक (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण)/ सभी सहायक निदेशक, (पौधा संरक्षण)/ सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/ संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण)/उप निदेशक (रसायन) कम्पोष्ट बिहार, पटना/सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/प्रशासी-सह-लेखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग/कृषि निदेशालय/लेखा पदाधिकारी कृषि विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

  
(प्रमु रक्ष)

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापाक- 2694

/कृ०, पटना, दिनांक: - 6/7/2017 2017

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई-टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

5. पेंशन वितरण प्राधिकार द्वारा औपबंधिक पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन की प्रविष्टि पी०पी०ओ० के दोनों आर्द्धांशों में की जायेगी और औपबंधिक पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन के भुगतान की सूचना महालेखाकार, बिहार को भेजी जायेगी ।

6. विस्तृत एवं औपचारिक आदेश बाद में राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत निर्गत किया जायेगा।

7. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/परिषद् कार्यालय के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों/सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

( शिव शंकर मिश्र )

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक:

ज्ञापांक: वि० (२७)पे०को०-(पुन०)२२/२०१७

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

( शिव शंकर मिश्र )

सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक:

ज्ञापांक: वि० (२७)पे०को०-(पुन०)२२/२०१७

प्रतिलिपि: सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी पेंशन प्रदायी बैंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

( शिव शंकर मिश्र )

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: वि० (२७)पे०को०-(पुन०)२२/२०१७

381 पटना, दिनांक: २३-१२-१७

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( शिव शंकर मिश्र )

सरकार के विशेष सचिव